2019/00036

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय–आजाद चौक बांसवाडा राजस्थान।	बनाम	1. मैसर्स पटेल सुभाष चन्द लाभ चन्द, प्लॉट न 17, लक्कड़ [illegible] सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। 2. श्री लाभ चन्द पुत्र श्री कारू जी पटेल, लक्ष्मी नगर, बांसवाड़ा राजस्थान। 3. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री भगवती लाल पटेल, सुभाष नगर बांसवाड़ा राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

मु. नं. : 17/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09–12–2019	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय–आजाद चौक, बांसवाड़ा राजस्थान की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30–12–2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अन्तार सिंह नेहरा) जिला कलक्टर बांसवाड़ा	
30-12-19	पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी के नोटिस तामील कुनिन्दा रिपोर्ट अनुसार नोटिस पुत्र-वधु को तामील हुए हैं जिसे सम्यक तामिली नहीं मानी जा सकती है। वकिल प्रार्थी 3 दिन में तलबाना नोटिस पेश करे। इसके प्राप्त होने पर पुनः नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दि. 24-1-2020 को पेश हो। बाद प्रोसीडिंग लिखने अपील प्रार्थी ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। (हस्ताक्षर) (अन्तार सिंह नेहरा) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	
24.1.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। भारतीय स्टेट बैंक शाखा आजाद चौक बांसवाड़ा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण में ऋणी मै. सुभाष चन्द पिता लाभचन्द पटेल एवं सह ऋणी द्वारा समस्त ऋण मय ब्याज सहित	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहकाम … हुक्म की जार…
	बैंक को भुगतान कर दिया गया है। इसलिये इस प्रकरण में प्रार्थी कोई कार्यवाही नही चाहता है। अतः प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र अनुसार Not Press में प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 24/4/2020 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर, [illegible]	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.02.04 16:58:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: